

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या: 211 /VII-1/24-ख/2007
देहरादून: दिनांक: 26 फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रोत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली, 2016

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 21 की प्रथम अनुसूची का संशोधन 2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे विद्यमान स्तम्भ-1 में दी गयी अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गई अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची (नियम-21 देखिए)		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
विद्यमान में रायल्टी की दरें प्रति घनमीटर	खनिज का नाम	खनिज का नाम	प्रतिस्थापित रायल्टी की दरें (धनराशि ₹ में)
55.00 प्रतिटन 108.00 प्रति घनमीटर	1. चूना पत्थर	1.चूना पत्थर	200.00 प्रति टन
75.00 प्रतिटन 135.00 प्रति घनमीटर	2.मार्बल या मार्बल चिप्स संगमरमर	2.मार्बल या मार्बल चिप्स संगमरमर	500.00 प्रति टन
18.00 प्रति हजार बनी ईंट	3. ईंट बनाने की मिट्टी	3. ईंट	1000.00 प्रति हजार ईंट
0.60 प्रति कि०ग्रा० या 60.00 प्रति कुन्टल	4. शोरा (साल्ट पीटर)	4. शोरा (साल्ट पीटर).	6.00 प्रति कि०ग्रा० या 600.00 प्रति कुन्टल
100.00 प्रति टन 180.00 प्रति घनमीटर	5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) 1-सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित ग्रेनाइट को छोड़कर)स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साइड 25 सेमी० से अधिक हो) 2-मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्ड स्टोन क्वार्टजाइट)	5. इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) 1-सभी प्रकार के उप खनिजों से निर्मित ग्रेनाइट को छोड़कर)स्लैब्स अशलर सहित साईज्ड डायमेशनल स्टोन (जिसकी कोई भी एक साइड 25 सेमी० से अधिक हो) 2-मिल स्टोन व हथचक्की (सैण्ड स्टोन क्वार्टजाइट)	350.00 प्रति टन। 500.00 प्रति टन।
200.00 प्रति घनमीटर			

44.00 प्रति टन 80.00 प्रतिघनमीटर	6.नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/ बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हो) बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/ मिट्टी	6.नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स (जिसकी कोई भी साईड 25 से0मी0 से अधिक न हो) बजरी/गिट्टी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू	194.50 प्रति घनमीटर अर्थात् 8.85 प्रति कुन्टल।
720.00 प्रति घनमीटर 480.00 प्रति घनमीटर	7.ग्रेनाइट (साइज्ड) डायमेशनल स्टोन (क) 1 मीटर या उससे बड़ा (ख) 1 मीटर से छोटा	7. ग्रेनाइट (साइज्ड) डायमेशनल स्टोन	1000.00 प्रति घनमीटर
50.00 प्रति टन 90.00 प्रति घनमीटर	8-विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	8. विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	194.50 प्रति घनमीटर अर्थात् 8.85 प्रति कुन्टल।
5.5 प्रति टन 10.00 प्रति घनमीटर	9 कंकड़	9 कंकड़	200.00 प्रति टन
5.56 प्रति टन 8.00 प्रति घनमीटर	10. साधारण मिट्टी	10. साधारण मिट्टी	50.00 प्रति टन
-	-	11. सिलिका सैण्ड	350.00 प्रति टन
-	-	12. डोलोमाईट	500.00 प्रति टन
-	-	13. बैराईट	250.00 प्रति टन
-	-	14. क्वार्टजाईट	100.00 प्रति टन
-	-	15. अन्य कोई खनिज जो ऊपर सूचित नहीं है।	खनिमुख मूल्य का 20 प्रतिशत।

नियम 22 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन

3.

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान अनुसूची के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची	
वर्तमान में प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (₹ में)	उप खनिज का नाम	उप खनिज का नाम	प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक (धनराशि ₹ में)
4000.00	1. मार्बल और मार्बल चिप्स	1. मार्बल और मार्बल चिप्स	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
4000.00	2. चूना पत्थर लाईम स्टोन	2. चूना पत्थर लाईम स्टोन	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त

			20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
16000.00	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) खण्डास/बोल्डर्स/बजरी/ गिट्टी/ बैलास्ट/सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी	3. नदी तल से भिन्न स्थान से प्राप्त इमारती पत्थर (बिल्डिंग स्टोन) खण्डास/बोल्डर्स/ बजरी/गिट्टी/बैलास्ट/सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी	40000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
40000.00	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	4. नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो	80000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष।
1500.00	5. साधारण मृदा (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	5. साधारण मृदा (आर्डिनरी क्ले) अथवा साधारण मिट्टी (आर्डिनरी अर्थ)	25000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष।
-	-	6. खनिज सिलिका सैण्ड	30000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
-	-	7. खनिज डोलोमाइट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
-	-	8. खनिज क्वार्टजाइट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)
-	-	9. खनिज बैराइट हेतु	20000.00 प्रति एकड़ प्रति वर्ष। तीन वर्ष के उपरान्त 20 प्रतिशत की वृद्धि (यदि राज्य सरकार द्वारा नई दरें निर्धारित नहीं की गई हो)

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)

संयुक्त सचिव